

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच-(27).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

- (1) नियम 8 में, उपनियम (4-क) में, शब्द "जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) एक वर्ष में सामान्यतः एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है या" का लोप किया जाए.
- (2) नियम 9 में,—
 - (एक) उपनियम (1) में, शब्द और अंक "प्ररूप 10" के स्थान पर, शब्द और अंक "यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2" स्थापित किए जाए;
 - (दो) उपनियम (1-क) में, शब्द "किसी तिमाही में रुपए चालीस हजार से अधिक का" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "नियम 21 के उपनियम (9) में यथाविनिर्दिष्ट" स्थापित किए जाएं.
- (3) नियम 21 में,—
 - (एक) उपनियम (1), (2), (2-क), (2-ख), (3) और (4) में, जहां कहीं शब्द और अंक "प्ररूप 10" आए हों, के स्थान पर, शब्द और अंक "यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2" स्थापित किए जाएं;

- (दो) उपनियम (2-क) में, शब्द और कोष्ठक “जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) एक वर्ष में सामान्यतः बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होती है या जिसके कर का भुगतान एक वर्ष में सामान्यतः दस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है” के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक “जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) एक वर्ष में सामान्यतः बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होती है और जिसके कर का भुगतान एक वर्ष में सामान्यतः दस हजार रुपये से अधिक नहीं होता है” स्थापित किए जाएं;

(तीन) उप नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(9) इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी कोई भी यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2 में विवरणी तब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक कि विवरणी प्ररूप में यथा अपेक्षित क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है.”

- (4) नियम 22 में शब्द तथा अंक “प्ररूप 10” के स्थान पर शब्द तथा अंक “यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2” स्थापित किए जाएं;
- (5) नियम 23 के उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 10” के स्थान पर शब्द तथा अंक “यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2” स्थापित किए जाएं;
- (6) नियम 23-क के उपनियम (1) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 10” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “यथास्थिति प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2” स्थापित किए जाएं;
- (7) नियम 53-क में उपनियम (2) में, शब्द “व्यापारीवार” के स्थान पर, शब्द “बिलवार” स्थापित किए जाएं;
- (8) नियम 84-क में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(6) यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किसी आवेदन, विवरणी, पत्रक आदि के अनुसार देय रकम का पूर्ण भुगतान विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया हो, तो ऐसे आवेदन, विवरणी, पत्रक आदि के साथ देय राशि के भुगतान के सबूत में प्ररूप 26 में चालान या प्ररूप 26-क में ई-पावती संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.;

(9) प्ररूप 4-ख में, विद्यमान सारणी के पश्चात् निम्नलिखित क्रयों की सूची अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“राज्य के भीतर से क्रय का विवरण

अ.क्र.	टिन	इनवाईस क्र. और तारीख	म. प्र. वेत की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेत शुद्ध)	वेत रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

क्या प्लॉट एवं मशीनरी है?	आयतन/माप (धारा 9-क के अधीन कर की स्थिति में)	क्या “प्रवेश कर चुका नहीं” मुद्रा अंकित की गई है?	क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?	यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

टिप्पणी :-1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. कर मुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

राज्य के बाहर से क्रय/प्राप्तियों का विवरण

अ.क्र.	टिन	व्यापारी का नाम	इनवाईस क्र और तारीख	राज्य/ भारत के बाहर	व्यवहार का प्रकार	म. प्र. वेट की अनुसूची/भाग/ प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	म. प्र. वेट के अधीन कर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

क्रय/स्टॉक ट्रांसफर मूल्य (कर सहित)	क्या घोषणा प्ररूप अपेक्षित है?	घोषणा प्ररूप क्र. यदि पूर्व में जारी हुआ है	क्या इस क्रय हेतु प्रवेश कर देय है?	यदि हां, तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पणी :-1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. कर मुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

3. अपंजीकृत से या कर मुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए."

(10) प्ररूप-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“प्ररूप-5

[नियम 8(4) देखिए]

ऐसे व्यापारी की विवरणी, जिसने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 11 के अधीन प्रशामन हेतु विकल्प लिया है

व्यापारी का नाम

टिन

वित्त वर्ष

विवरणी की कालावधि. से तक. मूल/पुनरीक्षित

विक्रय का विवरण

अ.क्र.	टिन	इनवाईस क्र और तारीख	म. प्र. वेट की अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	एक मुस्त राशि की दर	विक्रय मूल्य	क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टिप्पणी :—1. अपंजीकृत/उपभोक्ता को विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. कर मुक्त माल के विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस वितरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

राज्य के भीतर क्रय का विवरण

अ. क्र.	टिन	इनवाईस क्र. और तारीख	म. प्र. वेट की अनुसूची/ भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम	क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?	क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?	यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टिप्पणी :—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

- 1 कालावधि के दौरान कुल टर्नओवर
- 2 करमुक्त माल का टर्नओवर
- 3 (क) अनुसूची -2 के भाग-तीन और भाग-तीन क में विनिर्दिष्ट माल का टर्नओवर
(ख) यदि कोई अन्य कटौती हो, विनिर्दिष्ट करें
- 4 करयोग्य टर्नओवर (1-(2+3))
- 5 अनुक्रमांक 4 में सम्मिलित क्रय किये गये माल के विक्रय में संबंधित टर्नओवर
- 6 अनुक्रमांक 4 में सम्मिलित विनिर्मित पके हुए भोजन से संबंधित टर्नओवर
- 7 अनुक्रमांक 4 में सम्मिलित विनिर्मित अन्य माल से संबंधित टर्नओवर
- 8 अनुक्रमांक 5 में उल्लिखित टर्नओवर पर एक मुस्त राशि-0.5 प्रतिशत की दर से
- 9 अनुक्रमांक 6 में उल्लिखित टर्नओवर पर एक मुस्त राशि-3 प्रतिशत की दर से
10. अनुक्रमांक 7 में उल्लिखित टर्नओवर पर एक मुस्त राशि-4 प्रतिशत की दर से
- 11 कुल देय एक मुस्त राशि (8+9+10)
- 12 धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन देय रकम
- 13 कुल देय रकम (11+12)
- 14 भुगतान की गई रकम

भुगतान का विवरण

अ. क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें।)

प्रवेश कर

प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	क्रय मूल्य	खर्चे	कुल क्रय मूल्य	कर की रकम
प्रवेश कर देय नहीं (0)				
1				
2				
कोई अन्य दर				
योग				

विलंब से भुगतान हेतु ब्याज यदि कोई हो

इस कालावधि के लिये देय कुल रकम

इस वित्त वर्ष की पूर्व तिमाही से लाई गई प्रवेश कर के अधिक भुगतान की रकम

शुद्ध देय रकम

प्रवेश कर भुगतान का विवरण

अ. क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें.)

शेष देय रकम (शुद्ध देय रकम-कुल भुगतान)

इस वित्त वर्ष की आगामी तिमाही में ले जाई गई प्रवेश कर के अधिक भुगतान की रकम

घोषणा

मैं उपरोक्त बिजनेस फर्म का होते हुये एतद्वारा, घोषित करता हूं कि इस विवरणी में दी गई जानकारी एवं विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, हमारा (तारीख) को प्रस्तुत किया गया प्रशमन का विकल्प नामंजूर या प्रतिसंहत नहीं किया गया है.

स्थान

तारीख

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा विवरणी हस्ताक्षरित की जाएगी."

- (11) प्ररूप-9 में, शब्द और अंक "प्ररूप 10" के स्थान पर, शब्द और अंक "यथास्थिति प्ररूप 10, प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2" स्थापित किए जाएं;
- (12) प्ररूप-10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं अर्थात् :-

"प्ररूप 10

विवरणी

(नियम 21, 22 तथा 23 देखें)

सामान्य जानकारी

व्यापारी का नाम

टिन

वित्त वर्ष

विवरणी की कालावधि. से तक

मूल/पुनरीक्षित

भाग क: राज्य के भीतर विक्रय का विवरण

अ. क्र.	क्रेता व्यापारी का टिन	इनवाईस क्र. और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	विक्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम	क्या धारा 26-क के अधीन स्रोत पर कटौती (टीडीएस) की गई है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

आयतन/माप (धारा 9-क के अधीन कर की स्थिति में)	क्या "प्रवेश कर नहीं चुकाया गया हैं" मुद्रा अंकित की गई है?	क्या विक्रय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस ई जेड) में स्थित इकाई को है?	यदि हां, तो एस ई जेड से संबंधित घोषणा प्ररूप क्र. यदि उपलब्ध हो	एस ई जेड का नाम
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पणी :-1. अपंजीकृत/उपभोक्ता को विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. करमुक्त माल के विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

भाग ख: केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त प्ररूपों की सूची

अ. क्र.	इनवाईस क्र और तारीख	क्रेता व्यापारी का टिन	क्रेता व्यापारी का नाम	क्रेता व्यापारी का राज्य/भारत के बाहर	व्यवहार का प्रकार	म. प्र. वेट की अनुसूची/भाग प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
म. प्र. वेट की दर	विक्रय मूल्य (सीएसटी सहित) के स्टॉक ट्रांसफर मूल्य	क्या विक्रय घोषणा के विरुद्ध है? (सी.आई.एफ एच/बिल आफ लेडिंग कोई नहीं)	घोषणा प्ररूप क्र. यदि उपलब्ध हो	बिल्टी/रेल्वे रिसीट क्र. और तारीख	यदि विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अधीन पश्चातवर्ती विक्रय है.	विक्रेता व्यापारी का टिन	विक्रेता व्यापारी का इनवाईस क्र. और दिनांक	विक्रेता व्यापारी का राज्य	ई 1/ ई 2 क्र.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

भाग ग: केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त प्ररूपों की सूची, जो पूर्व में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.

अ. क्र.	इनवाईस क्र. और तारीख	टिन	घोषणा प्ररूप क्र.	जारी करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(भाग ख और भाग ग में विवरण ऐसे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी नहीं हैं)

भाग घ : राज्य के भीतर से क्रय का विवरण

अ.क्र.	टिन	इनवाईस क्र और तारीख	म. प्र. वेट की तारीख और अनुसूची/भाग/ प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम	क्या आगत कर रिवेट का दावा किया गया है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

क्या प्लाट एवं मशीनरी है	क्या धारा 26-क के अधीन स्रोत पर कटौती (टीडीएस) की गई है?	आयतन/माप (धारा9-क के अधीन कर की स्थिति में)	क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?	क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?	यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

- टिप्पणी** :—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग ड : राज्य के बाहर से क्रय/प्राप्तियों का विवरण

अ. क्र.	टिन	व्यापारी का नाम	इनवाईस क्र. और तारीख	राज्य/ भारत के बाहर	व्यवहार का प्रकार	म.प्र. वेट की अनुसूची/ भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	म.प्र. वेट के अधीन कर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

क्रय/ स्टाक ट्रांसफर मूल्य (कर सहित)	क्या घोषणा प्ररूप अपेक्षित है	घोषणा प्ररूप क्र. यदि पूर्व में जारी हुआ है	क्या इस क्रय हेतु प्रवेश कर देय है?	यदि हां, तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- टिप्पणी** :—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग च :

- सकल कुल राशि (ग्रास टर्न ओवर)
- निम्न के संबंध में कटौती [उपशीर्ष (क) से (ज) का योग]
 - माल भाड़ा, परिदान या अधिष्ठान का खर्च जबकि ऐसा खर्च पृथक् से प्रभारित हो.
 - विक्रय के छह माह के भीतर विक्रय वापसी (इस वित्त वर्ष के विक्रय में से)
 - कर चुके माल का विक्रय मूल्य
 - करमुक्त घोषित मालों का विक्रय मूल्य
 - अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय की कुल राशि
 - राज्य के बाहर के विक्रय/इनसाईनमेंट/शाखा अन्तरण की कुल राशि
 - भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किये गये विक्रय की कुल राशि
 - विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थित इकाइयों को विक्रय की कुल राशि
 - सकल कुल राशि में सम्मिलित कर की राशि
 - अन्य कटौती (विनिर्दिष्ट करें)
- कर योग्य कुल राशि (1-2)

भाग छ : क्रय कर

कर की दर (प्रतिशत)	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
योग		

भाग ज : सड़क मार्ग द्वारा ले जाए गए माल पर कर

(क) धारा 9-ग की उपधारा (1) के अधीन देय कर

1. भाड़ा
2. कटौती (विनिर्दिष्ट करें)
3. कर योग्य भाड़ा (1-2)
4. कर की दर
5. देय कर

(ख) धारा 9-ग की उपधारा (4) के खण्ड (ड) के अधीन देय रकम

1. धारा 9-ग (4) (क) के अधीन काटी गई रकम
2. धारा 9-ग (4) (घ) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट के बराबर रकम
3. देय रकम (1-2)

(ग) देय कुल रकम [(क) +(ख)]

भाग झ : धारा 26-क की उपधारा (5) के अधीन देय रकम

1. धारा 26-क (1) के अधीन काटी गई रकम
2. धारा 26-क (7) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट के बराबर रकम
3. देय रकम (1-2)

भाग ज : आगत कर रिबेट का रिवर्सल

मद	कुल राशि	रिवर्स की गई आगत कर रिबेट
(एक) उपहार/मुफ्त सैम्पल/रिप्लेसमेंट आदि के रूप में दिये जाने पर		
(दो) राज्य के बाहर विक्रय/कन्साईनमेंट/शाखा को अन्तरण करने पर (...प्रतिशत तक)		
(तीन) निर्यात से भिन्न विक्रय हेतु करमुक्त माल के निर्माण में उपयोग पर (....प्रतिशत तक)		
(चार) करमुक्त माल/राज्य के बाहर विक्रय/कन्साईनमेंट/शाखा को अन्तरित माल की पैकिंग में उपयोग पर (. . . प्रतिशत तक)		
(पांच) राज्य के बाहर विक्रय/कन्साईनमेंट/शाखा को अन्तरित कर योग्य माल के निर्माण में उपयोग पर (.... प्रतिशत तक)		
(छः) संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग/उपभोग किये गये माल जिसका हस्तांतरण नहीं होता है, पर (.....प्रतिशत तक)		
(सात) अन्यथा व्ययन पर (.....प्रतिशत तक)		
(आठ) क्रय वापसी		
(नौ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		[(एक) से (नौ) तक]

भाग ट: पिछली तिमाही से लाई गई आगत कर रिबेट तथा अन्य क्रेडिट

1. पिछली तिमाही से लाई गई आगत कर रिबेट (वापसी हेतु आरक्षित नहीं)
2. अन्य असमायोजित क्रेडिट (जैसे इनवेन्ट्री रिबेट/पिछली तिमाही में अमान्य किये गये नगद वापसी दावे)

योग (1+2)

भाग ठ: देय राशि

1. कुल देय राशि (भाग क+छ+ज+झ)
2. अस्थगित कर की राशि
- 2क. . . .तक आस्थगित
3. छूट प्राप्त कर की राशि
4. आगत कर रिबेट (ड का 4)
5. शुद्ध देय राशि [1-(2+3+4)]
6. विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज (यदि कोई हो)
7. कुल देय राशि (5+6)
8. स्रोत पर कर कटौती की क्रेडिट (भाग त से)
9. वापसी समायोजन आदेश की क्रेडिट (स्वयं का) (भाग थ से)
10. वापसी समायोजन आदेश की क्रेडिट (अन्य व्यवसाई से प्राप्त) (भाग द से)
11. पूर्ववर्ती तिमाही से लाई गई अन्य क्रेडिट (भाग ट से)
12. क्रेडिट का योग (8+9+10+11)
13. ऊपर 12 में से इस कालावधि में समायोजित क्रेडिट (12 से अधिक नहीं)
14. इस वित्त वर्ष की पूर्व तिमाही से लाया गया अधिक भुगतान
15. शुद्ध देय राशि [7-(3+14)]
16. चालान से जमा राशि (भाग ण से)
17. शेष देय
18. इस वित्त वर्ष की आगामी तिमाही में ले जाया गया अधिक भुगतान
19. आगामी तिमाही में ले जाई गई अन्य समायोजित क्रेडिट (जैसे टी.डी.एस. और आर.ए.ओ. की असमायोजित क्रेडिट) (12-13)

भाग ड : समायोजन हेतु आगत कर रिबेट

1. कुल आगत कर रिबेट (घ+ट का 1)
2. आगत कर रिबेट का रिबर्सल (ज)
3. समायोजन हेतु शुद्ध रिबेट (1-2)
4. वेट के विरुद्ध समायोजन
5. केन्द्र विक्रय कर के विरुद्ध समायोजन
6. रिबेट की राशि जिसके लिए नगद वापसी चाही गई है
7. रिबेट की राशि जो अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को हस्तारित की गई है
8. दो वर्ष पश्चात् वापसी हेतु आरक्षित रिबेट की राशि
9. आगामी तिमाही में ले जाई गई रिबेट

टिप्पणी : केवल कर मुक्त इकाइयों द्वारा आगत कर रिबेट के आधिक्य का हस्तांतरण अनुज्ञेय है.

भाग ढ : आगत कर रिबेट के आधिक्य का वर्गीकरण

3 माह से अधिक	15 माह से अधिक
6 माह से अधिक	18 माह से अधिक
9 माह से अधिक	21 माह से अधिक
12 माह से अधिक	24 माह से अधिक
	योग (ड 8)

भाग ण : भुगतान का विवरण

अ.क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालन दिनांक	कालावधि से तक	रकम
--------	-------------	----------	---------------	-------------	---------------	-----

(यदि भुगतान अधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालन की हार्ड कापी संलग्न करें.)

भाग त : स्रोत पर कटौती (टी. डी. एस.) का विवरण

अ. क्र	व्यापारी /कार्यालय का नाम	टिन/ नामांकन क्र.	टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र क्र.	दिनांक	टी.डी.एस. की रकम	चालान क्र.	दिनांक
--------	---------------------------	-------------------	----------------------------	--------	------------------	------------	--------

टी.डी.एस. का योग

भाग थ : वापसी समायोजन आदेश (आर.ए.ओ.) का विवरण (स्वयं का)

अ.क्र.	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	आर.ए.ओ. दिनांक	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक की राशि	चालान क्र.	चालान दिनांक
--------	----------------------------	----------------	------------------------------------	------------	--------------

भाग द : वापसी समायोजन आदेश (आर.ए.ओ.) का विवरण (अन्य व्यापारी से आगत कर रिबेट के अन्तरण द्वारा प्राप्त)

अ.क्र.	व्यापारी का नाम	टिन	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक दिनांक	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक की राशि
--------	-----------------	-----	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

भाग ध : वापसी समायोजन आदेश (आर.ए.ओ.) का विवरण (अन्य व्यापारी को अन्तरित आगत कर रिबेट का आधिक्य)

अ.क्र.	व्यापारी का नाम	टिन	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक दिनांक	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक की राशि
--------	-----------------	-----	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

घोषणा

मैं (नाम) उक्त व्यवसायिक फर्म के की हैसियत से यह घोषित करता हूँ कि.—

- (एक) उपरोक्तानुसार इस विवरणी में दी गयी जानकारीयां तथा विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है;
- (दो) दावा की गई आगत कर रिबेट, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन (कैश मेमोरेण्डम), जिसमें विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा संग्रहित कर की रकम पृथक् से दर्शाई गई है, द्वारा समर्थित है;

स्थान

दिनांक

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी.—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा यह विवरणी हस्ताक्षरित की जाएगी.

प्ररूप 10.1

विवरणी

(नियम 21, 22 तथा 23 देखिए)

मध्यप्रदेश के भीतर क्रय/विक्रय करने वाले व्यावसायियों के लिये, जिनका एसईजेड के व्यावसायियों को कोई विक्रय न हो और न ही किसी प्रकार का स्रोत पर कटौती हो, जो धारा 9क के अधीन कर और धारा 10क के अधीन क्रय कर हेतु दायी न हो, कोई वापसी न हो, स्वयं संकर्म संविदा / प्रशमन / विनिर्माण में संलग्न न हो).

सामान्य जानकारी :

व्यापारी का नाम

टिन

वित्त वर्ष

विवरणी का कालावधि से तक मूल / पुनरीक्षित

भाग क : राज्य के भीतर विक्रय का विवरण :

अ. क्र.	क्रेता व्यापारी का टिन	इनवाईस क्र. और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	विक्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम	क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पणी.—1. अपंजीकृत / उपभोक्ता को विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दरवार समेकित किए जा सकते हैं.

2. करमुक्त माल के विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

भाग ख : राज्य के भीतर से क्रय का विवरण :

अ. क्र.	टिन	इनवाईस क्र. और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

क्या आगत कर रिबेट का दावा किया गया है?
(9)

क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?
(10)

क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?
(11)

यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(12)

टिप्पणी.—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाइस विवरण के दर वार समेकित किये जा सकते हैं.

2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाइस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग ग : आगत कर रिबेट और कर का विवरण :

सकल कुल राशि (ग्रास टर्न ओवर)

करमुक्त घोषित मालों का विक्रय मूल्य

सकल कुल राशि में सम्मिलित कर की राशि

कर योग्य राशि [1—(2+3)]

कुल देय कर

इस वित्तीय वर्ष की पूर्व तिमाही से लाए गये अधिक भुगतान की राशि

पिछली कालावधि से लाई गई आगत कर रिबेट

इस कालावधि में दावाकृत आगत कर रिबेट

इस कालावधि में वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर रिबेट

आगामी कालावधि में अग्रनीत आगत कर रिबेट

शुद्ध देय कर

विलंबित भुगतान हेतु ब्याज, यदि कोई हो

अन्य कोई भुगतान

कुल देय राशि

भाग घ : भुगतान का विवरण :

अ.क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान अधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें.)

शेष देय राशि (कुल देय राशि — कुल भुगतान)

इस वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाही हेतु अग्रनीत वेट भुगतान के आधिक्य की राशि

प्रवेश कर :

भाग ड :

प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	क्रय मूल्य	खर्चें	कुल क्रय मूल्य	कर की राशि
प्रवेश कर देय नहीं (0)				
1				
2				
...				
अन्य कोई दर				
योग				

विलंबित भुगतान हेतु ब्याज, यदि कोई हो

इस कालावधि के लिये कुल देय राशि

इस वित्तीय वर्ष की पूर्व तिमाही से लाए गए प्रवेश कर के अधिक भुगतान की राशि

शुद्ध देय राशि

भाग च : प्रवेश कर भुगतान का विवरण :

अ.क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान अधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें.)

शेष देय राशि (कुल देय राशि — कुल भुगतान)

इस वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाही हेतु अग्रणीत प्रवेश कर भुगतान के अधिक्क की राशि

घोषणा

मैं, _____ (नाम) उक्त व्यावसायिक फर्म के _____ की हैसियत से यह घोषित करता हूँ कि,—

(एक) उपरोक्तानुसार इस विवरणी में दी गई जानकारीयां तथा विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है;

(दो) दावा की गई आगत कर रिबेट, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन (कैश मेमोरेण्डम), जिसमें विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा संग्रहीत कर की रकम पृथक् से दर्शाई गई है, द्वारा समर्थित है;

स्थान _____

दिनांक _____

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी.—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा यह विवरणी हस्ताक्षरित की जाएगी.

प्ररूप 10.2

विवरणी

(नियम 21, 22 तथा 23 देखिए)

(मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय और मध्यप्रदेश के भीतर / बाहर से क्रय / प्राप्तियां करने वाले व्यावसायियों के लिये, जिनका एसईजेड के व्यावसायियों को कोई विक्रय न हो और न ही किसी प्रकार के स्रोत पर कटौती हो, जो धारा 9क के अधीन कर और धारा 10क के अधीन क्रय कर हेतु दायी न हो, कोई वापसी न हो, स्वयं संकर्म संविदा / प्रशमन / विनिर्माण में संलग्न न हो).

सामान्य जानकारी :

व्यापारी का नाम

टिन

वित्त वर्ष

विवरणी की कालावधि से तक मूल / पुनरीक्षित

भाग क : राज्य के भीतर विक्रय का विवरण :

अ. क्र.	क्रेता व्यापारी का टिन	इनवाईस क्र और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	विक्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम	क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पणी.—1. अपंजीकृत / उपभोक्ता को विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.

2. करमुक्त माल के विक्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.

भाग ख : राज्य के भीतर क्रय का विवरण :

अ. क्र.	टिन	इनवाईस क्र और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

क्या आगत कर रिबेट का दावा किया गया है?
(9)

क्या "प्रवेश कर चुका नहीं" मुद्रा अंकित की गई है?
(10)

क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?
(11)

यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(12)

- टिप्पणी.**—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
 2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
 3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग ग : राज्य के बाहर से क्रय / प्राप्तियों का विवरण :

अ. क्र.	टिन	व्यापारी का नाम	इनवाईस क्र और तारीख	राज्य / भारत के बाहर	व्यवहार का प्रकार	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/ प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

म.प्र. वेट के अधीन कर की दर	क्रय / स्टॉक ट्रांसफर मूल्य (कर सहित)	क्या घोषणा प्ररूप अपेक्षित है?	घोषणा प्ररूप क्र. यदि पूर्व में जारी हुआ है.	क्या इस क्रय हेतु प्रवेश कर देय है?	यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- टिप्पणी.**—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
 2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
 3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग घ : आगत कर रिबेट और कर का विवरण :

सकल कुल राशि (ग्रास टर्न ओवर)

करमुक्त घोषित मालों का विक्रय मूल्य

सकल कुल राशि में सम्मिलित कर की राशि

कर योग्य राशि

कुल देय कर

इस वित्तीय वर्ष की पूर्व तिमाही से लाए गये अधिक भुगतान की राशि

पिछली कालावधि से लाई गई आगत कर रिबेट

इस कालावधि में दावाकृत आगत कर रिबेट

इस कालावधि में वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर रिबेट

आगामी कालावधि में अग्रनीत आगत कर रिबेट

शुद्ध देय कर

विलंबित भुगतान हेतु ब्याज, यदि कोई हो

अन्य कोई भुगतान

कुल देय राशि

भाग ड : भुगतान का विवरण :

अ.क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान अधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें.)

शेष देय राशि (कुल देय राशि — कुल भुगतान)

इस वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाही हेतु अग्रनीत वेट भुगतान के आधिक्य की राशि

भाग च : प्रवेश कर :

प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	क्रय मूल्य	खर्च	कुल क्रय मूल्य	कर की राशि
प्रवेश कर देय नहीं (0)				
1				
2				
...				
अन्य कोई दर				
योग				

विलंबित भुगतान हेतु ब्याज, यदि कोई हो

इस कालावधि के लिये कुल देय राशि

इस वित्तीय वर्ष की पूर्व तिमाही से लाए गए प्रवेश कर के अधिक भुगतान की राशि

शुद्ध देय राशि

भाग छ : प्रवेश कर भुगतान का विवरण :

अ.क्र.	बैंक का नाम	शाखा कोड	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि		रकम
					से	तक	

(यदि भुगतान अधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है, तो सत्यापन प्ररूप के साथ चालान की हार्ड कॉपी संलग्न करें.)

शेष देय राशि (कुल देय राशि — कुल भुगतान)

इस वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाही हेतु अग्रणीत

प्रवेश कर भुगतान के आधिक्य की राशि

घोषणा

मैं, _____ (नाम) उक्त व्यावसायिक फर्म के _____ की हैसियत से यह घोषित करता हूँ कि,—

- (एक) उपरोक्तानुसार इस विवरणी में दी गई जानकारीयां तथा विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है;
- (दो) दावा की गई आगत कर रिबेट, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन (कैश मेमोरेण्डम), जिसमें विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा संग्रहीत कर की रकम पृथक् से दर्शाई गई है, द्वारा समर्थित है;

स्थान _____

व्यापारी के हस्ताक्षर

दिनांक _____

टिप्पणी.—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा यह विवरणी हस्ताक्षरित की जाएगी.

- (13) प्ररूप 10-ख में, भाग ड और भाग च के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“भाग ड : राज्य के भीतर से क्रय का विवरण :

अ. क्र.	टिन	इनवाईस क्र और तारीख	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)	कर की दर	क्रय मूल्य (वेट शुद्ध)	वेट रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

क्या आई टी आर का दावा किया गया है?	क्या प्लांट एवं मशीनरी है?	आयतन / माप (धारा 9-क के अधीन कर की स्थिति में)	क्या “प्रवेश कर चुका नहीं” मुद्रा अंकित की गई है?	क्या इस क्रय के लिए प्रवेश कर देय है?	यदि हां तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- टिप्पणी.**—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

भाग च : राज्य के बाहर से क्रय / प्राप्तियों का विवरण :

अ. क्र.	टिन	व्यापारी का नाम	इनवाईस क्र और तारीख	राज्य / भारत के बाहर	व्यवहार का प्रकार	म.प्र. वेट की अनुसूची/भाग/ प्रविष्टि क्र.	वस्तु (ऐच्छिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

म.प्र. वेट के अधीन कर की दर	क्रय / स्टॉक ट्रांसफर मूल्य (कर सहित)	क्या इस क्रय हेतु प्रवेश कर देय है?	यदि हां, तो दर जिससे प्रवेश कर देय है
(9)	(10)	(11)	(12)

- टिप्पणी.**—1. अपंजीकृत से क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के दर वार समेकित किए जा सकते हैं.
2. करमुक्त माल के क्रय बिना टिन, भाग, प्रविष्टि क्र. या इनवाईस विवरण के एक पंक्ति में समेकित किए जा सकते हैं.
3. अपंजीकृत से या करमुक्त माल के क्रय पर प्रवेश कर देय होने की स्थिति में इनको प्रवेश कर दर वार पृथक्-पृथक् पंक्तियों में दर्शाया जाए.

(14) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-35-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-35-2014-1-पांच (27), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th June 2014

No. F. A-3-35-2014-1-V-(27).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 8, in sub-rule (4-A), the words “whose turnover in a year does not ordinarily exceed rupees one crore or” shall be omitted.

(2) in rule 9,—

(i) In sub-rule (1), for the word and figure “Form 10”, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2, as the case may be,” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1-A), for the words “exceeding rupees forty thousand in a Quarter”, the words “as specified in sub-rule (9) of rule 21” shall be substituted.

(3) in rule 21,—

(i) in sub-rules (1), (2), (2-A), (2-B), (3) and (4), the word and figure “Form 10” wherever they occurs, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2, as the case may be,” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2-A), for the words “whose turnover in a year does not ordinarily exceed rupees twenty lacs or whose payment of tax in a year does not ordinarily exceed rupees ten thousand”, the words “whose turnover in a year does not ordinarily exceed rupees twenty lacs and whose payment of tax in a year does not ordinarily exceed rupees ten thousand” shall be substituted;

(iii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(9) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, no return shall be complete unless in return Form 10, Form 10.1 or Form 10.2, as the case may be, details of purchases and sales as required in the Form is furnished.”

(4) in rule 22, for the word and figure “Form 10”, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2 as the case may be,” shall be substituted;

(5) in sub-rule (2) of rule 23 “Form 10”, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2 as the case may be,” shall be substituted; (5)

(6) in sub-rule (1) of rule 23-A, for the word and figure “Form 10”, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2 as the case may be,” shall be substituted;

(7) in rule 53-A, in sub-rule (2), for the words “dealer wise”, the words “bill wise” shall be substituted;

(8) in rule 84-A, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added inserted namely :—

“(6) If the amount payable has been paid in full according to an application, return, statement etc.

furnished electronically with digital signature, through the official web portal of the department, the application, return, statement etc., shall not be required to be accompanied by a challan in Form 26 or e-receipt in Form 26-A in proof of payment of the amount payable.”.

(9) In Form 4-B, after the existing table, the following list of purchases shall be inserted, namely :—

“Details of Purchases from within State

S. No.	TIN	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

is it Plant and Machinery?	Volume/ Measurement (in case of tax u/s-9-A)	Whether “ET not paid” seal has been affixed?	Whether Entry Tax is payable for this purchase?	if yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

- Note.—**1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

“Details of Purchases/Receipts from out of State

S. No.	TIN	Name of Dealer	Invoice No. and date	State/ Out of India	Type of Transaction	Schedule/ Part/Entry No. of MPVAT	Commodity (Optional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rate of Tax Under MP VAT	Purchase/ Stock Transfer Value (inclusive of Tax)	Whether Declaration Form is required?	Declaration Form No., if already issued	Whether Entry Tax is payable for this purchase?	if yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- Note.**—1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details
3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.”

(10) for Form-5, the following form shall be substituted, namely :—

“FORM 5
[See rule 8(4)]
**Return of a dealer opting for composition under Section 11 of
the Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

Name of Dealer			
TIN			
Financial Year			
Return Period	From	To	Original/Revised

Details of Sales

S. No.	TIN	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No.	Commodity (Optional)	Rate of Lump Sum amount	Sale Value	Whether “Entry Tax not paid” seal has been affixed?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- Note.**—1. Sales to unregistered Dealer/ Consumers can be clubbed rate wise without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Sales of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.

Details of Purchases within State

S. No.	TIN	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (Optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether “Entry Tax not paid” seal has been affixed?	Whether Entry Tax is payable for this purchase?	if yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- Note.**—1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

1. Gross Turnover during the period
2. Turnover of tax free goods
3. (a) Turnover of goods specified in part III and IIIA of Schedule II
(b) Specify, if any other deduction
4. Taxable Turnover [1-(2+3)]
5. Turnover relating to sale of goods purchased included in serial number (4)
6. Turnover relating to cooked food manufactured included in serial number (4)
7. Turnover relating to other goods manufactured included in serial number (4)
8. Lump-sum @ 0.5% on turnover mentioned in serial number (5)
9. Lump-sum @ 3% on turnover mentioned in serial number (6)
10. Lump-sum @ 4% on turnover mentioned in serial number (7)
11. Total lump-sum payable (8+9+10)
12. Amount payable under sub-section (3) of Section 11
13. The total amount payable (11+12)
14. Amount paid.

Payment Details

S.No.	Name of Bank*	Branch Code*	Challan number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	
							Total . .

(attach hardcopies of Challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Entry Tax

Rate of Entry Tax (in %)	Purchase Value	Expenses	Total Purchase Value	Tax Amount
Entry Tax Not Payable (0)				
1				
2				
Any Other Rate				
Total				
Interest for late payments, if any				
Gross Amount payable for this period				
Excess amount of Entry Tax paid brought forward from previous quarter of this Financial Year				
Net Amount Payable				

Entry Tax Payment Details

S.No.	Name of Bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	
							Total . .

(attach hard copies of Challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Balance Amount Payable (Net Amount Payable-Total Payment)	
Excess amount of Entry Tax paid carried forward to next quarter of this financial year	

DECLARATION

I (Name) being of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief. Our option for composition submitted on has not been rejected or revoked.

Place
Date :

Signature of the dealer

Note.—This return shall be signed by any such person on behalf of the dealer as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.”.

(11) in Form-9, for the word and figure “Form 10”, the words and figures “Form 10, Form 10.1 or Form 10.2, as the case may be,” shall be substituted.

(12) for Form-10, the following forms shall be substituted, namely :—

“FORM 10
Return
(See rule 21, 22 and 23)

General Information

Name of Dealer			
TIN			
Financial Year			
Return Period	From	To	Original/Revised

Part-A : Details of Sales within the State

S. No.	TIN of Purchasing Dealer	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (Optional)	Rate of Tax	Sale Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether Tax Deduction at Source u/s 26-A has been made?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Volume/ Measurement (in case of tax u/s-9-A) (10)	Whether "Entry Tax not paid" seal has been affixed? (11)	Whether Sale is to a unit located in Special Economic Zone? (12)	if yes, Special Economic Zone related declaration Form no., if available (13)	Name of Special Economic Zone (14)
---	--	--	---	--

Note.—1. Sales to unregistered dealer/ Consumers can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry number or Invoice details.

2. Sales of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details

Pat-B : List of forms received under the Central Sales Tax Act, 1956

S. No.	Invoice No. and date	TIN of Purchasing Dealer	Name of Purchasing Dealer	Purchasing Dealer/State Out of India	Type of Transaction	Schedule/ Part/Entry No. of MPVAT	Commodity (optional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rate of Tax in MP VAT	Sale Value (including CST)/ Stock Transfer Value	Whether Sale is against Declaration Form? (C, I, F,H/Bill of Lading, None)	Declaration Form No., if available	Builty/ Railway receipt No. and date	If sale is subsequent sale u/s 6(2) of the Central Sale Tax Act, 1956			
					TIN of selling Dealer	Selling Dealer's Invoice No. and date	State of Selling dealer	E1/E2 No.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Pat-C : Details of Forms received under the Central Sales Tax Act, 1956, not previously submitted

S. No.	Invoice No. and date	TIN	Declaration Form No.	Date of issue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(Details in Part-B and Part-C are to be furnished by a dealer who is not liable to pay tax under the Central Sales Tax Act, 1956)

Part-D : Details of Purchases from within the State

S. No.	TIN	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No. of MPVAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether Input Tax Rebate Claimed?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Is it Plant and Machinery?	Whether Tax Deduction at Source u/s 26-A has been made?	Volume/ Measurement (in case of tax u/s 9-A)	Whether "Entry Tax not paid" seal has been Affixed?	Whether Entry Tax is payable for this purchase?	if yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

- Note.**—1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details
3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

Part-E : Details of Purchases/ Receipts from our of State

S. No.	TIN	Name of Dealer	Invoice No. and date	State/ Out of India	Type of Transaction	Schedule/ Part/Entry No. of MPVAT	Commodity (Optional)	Rate of Tax Under MPVAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Purchase/ Stock Transfer Value (inclusive of Tax)	Whether Declaration Form is required?	Declaration Form No., if already issued	Whether Entry Tax is payable for this purchase?	If yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- Note.**—1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details
3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

PART-F

- 1 Gross Turnover (GTO)
- 2 Less deduction in respect of [Total of subhead (a) to (j)]
 - (a) Cost of freight delivery or installation, when such cost of charged separately.
 - (b) Sales returns within six months of sale (out of sales of this FY).
 - (c) Sale price of Tax Paid goods
 - (d) sale price of goods declared Tax free
 - (e) Turnover of sales in the source of inter-state trade of Commerce.
 - (f) Turnover of sale outside the State/ Consignment/ Branch Transfer.
 - (g) Turnover of sales in the course of export out of the territory of India.
 - (h) Turnover of sales to units located in Special Economic Zone.
 - (i) Amount of tax included in GTO
 - (j) Any other deduction (specify)
- 3 Taxable Turnover (1-2)

PART-G : Purchase Tax

Rate of Tax (%)	Taxable Purchase Value	Purchase Tax payable*
	Total :	

PART-H : Tax on goods carried by road

- (A) Tax payable under sub section (1) of Section 9-C
 1. Freight
 2. Deduction (Specify)
 3. Taxable freight (1-2)
 4. Rate of tax
 5. Tax payable
- (B) Amount payable under clause (e) of sub Section (4) of Section 9-C.
 1. Amount deducted U/S 9-C (4) (a)
 2. Amount equal to rebate notionally admissible u/s 9-C (4) (d).
 3. Amount payable (1-2)
- (C) Total Amount Payable [(A)+(B)]

PART-I : Details of Tax Deducted at Source under Section 26-A

1. Amount deducted u/s 26-A (1)
2. Amount equal to rebate notionally admissible u/s 26-A (7)
3. Amount payable (1-2)

PART-J : Reversal of Input Tax Rebate

On A/c of	Turnover	Input Tax Rebate Reversal
(i) Being given as gift/free sample/replacement etc.		
(ii) Being sent outside the State/consignment/branch transfer (....%)		
(iii) Being used in manufacturing of Tax Free goods for sale other than export (.....%)		
(iv) Being used in packing of Tax Free goods/goods sent outside the State/consignment/Branch transfer (. . .%)		
(v) Being used in production of taxable goods sent outside the state/consignment/branch transfer (. . .%)		
(vi) Goods used/consumed in the execution of works contract, but not transferred.		
(vii) Otherwise disposal (.....%)		
(viii) Purchase returns		
(ix) Any other reason (specify)		
Total [From (i) to (ix)]		

PART-K : Rebate carried forward from previous quarter and other credits

1. Input Tax Rebate brought forward (not reserved for refund) form previous quarter
2. Other unadjusted credit (i.e. disallowed cash refund claims in previous quarter).

Total (1+2)

PART-L : Amount Payable

1. Total amount payable (Part A+G+H+I)
2. Amount of tax deferred
- 2a. Deferred up to
3. Amount of Tax Exempted
4. Input Tax Rebate (M4)
5. Net Amount payable [1-(2+3+4)]
6. Interest for Late payment (if any)
7. Total Amount Payable (5+6)
8. Credit of tax deducted at source (from Part-P)
9. Credit of Refund adjustment Order (Self) (from Part-Q)
10. Credit of Refund Adjustment Order (Reived from others) (from Part-R).
11. Other credits brought forward from previous quarter (from Part-K).
12. Total Credits (8+9+10+11)
13. Credits Adjusted during this period out of 12 above (Not more than 12).
14. Excess payments brought forward from previous quarter of this financial year.
15. Net Amount payable [7-(13+14)]
16. Amount paid by Challans (from Part-O)
17. Balance Payable
18. Excess payments carried forward to next quarter of this financial year.
19. Unadjusted credits carried over to next quarter (like unadjusted credit of Tax Deduction at Source and Refund Adjustment Order) (12-13).

PART M : Input Tax Rebate for Adjustments

1. Total Input Tax Rebate (Q+F1)
2. Reversal of Input Tax Rebate (E)
3. Net Input Tax Rebate (1-2)
4. Adjustment against VAT
5. Adjustment against Central Sales Tax
6. Amount of rebate for which cash refund is asked for
7. Amount of rebate transferred to other registered dealer
8. Amount of rebate reserved for refund after two years
9. Rebate Carried Over to next quarter

Note : Transfer of excess input Tax Rebate is permissible for exempted units only

PART N : Classification of excess input Tax Rebate (Reserved for cash refund)

Over 3 Months	Over 15 Months	
Over 6 Months	Over 18 Months	
Over 9 Months	Over 21 Months	
Over 12 Months	Over 24 Months	
		Total (H 8)

PART O : Payment Details

S.No.	Name of bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	

(Attach hardcopies of challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

PART P : Details of Tax Deduction at source

S.No.	Name of Dealer/Office*	Tin/Enrollment Number	Tax Deduction at source Certificat No.*	Date*	Amount of Tax Deduction at source*	Challan No.	Challan Date
-------	------------------------	-----------------------	---	-------	------------------------------------	-------------	--------------

Total of Tax Deduction at source

PART Q : Details of Refund Adjustment Order (Self)

S.No.	Refund Adjustment Order No.*	Refund Adjustment Order Date*	Amount of Refund Adjustment Order*	Challan No.	Challan Date
-------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------

PART R : Details of Refund Adjustment Order (Received from other dealer by transfer of Input Tax Rebate)

S.No.	Name of Dealer*	TIN*	Refund Adjustment Order No.*	Refund Adjustment Order Date*	Amount of Refund Adjustment Order*

PART S : Details of Refund Adjustment Order (Transferred to other dealer on account of excess Input Tax Rebate)

S.No.	Name of Dealer*	TIN*	Refund Adjustment Order No.*	Refund Adjustment Order Date*	Amount of Refund Adjustment Order*

Declaration

I, (Name) being of the above business firm do hereby declare that,—

- (i) the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief;
- (ii) the input tax rebate claimed is supported by bills/invoices/cash memos issued by the selling registered dealers indicating therein separately the amount of tax collected.

Place :

Date :

Signature of the dealer

Note : This return shall be signed by any such person on behalf of the dealer as prescribed in sub-tule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh VAT Rules, 2006.

**Form 10.1
Return**

(See rule 21, 22 and 23)

(For traders having Sale / Purchase within Madhya Pradesh with no sale to Special Economic Zone dealers, nor any kind of Tax Deduction at Source, not liable for Tax u/s 9A and Purchase Tax u/s 10A, no refunds, himself is not involved in works contract / Composition / manufacturing)

General Information

Name of Dealer		
TIN		
Financial Year		
Return Period	From	To
		Original / revised

Part A : Details of sales within the State

S.No.	TIN of Purchasing Dealer	Invoice No. and Date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Sale Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether "Entry Tax not paid" seal has been affixed?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- Note :**
1. Sales to unregistered dealer / Consumers can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 2. Sales of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number of Invoice details.

Part B : Details of purchases from within State

S.No.	TIN	Invoice No. and Date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Whether Input Tax Rebate Claimed? (9)	Whether "Entry Tax not paid" seal has been affixed? (10)	Whether Entry Tax is payable for this purchase? (11)	If yes, then rate at which Entry Tax is Payable (12)
--	---	---	---

- Note :**
1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number of Invoice details.
 3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

PART C : Input Tax Rebate and Tax Details

Gross Turnover (GTO)
Turnover of Tax free Goods
Tax Amount included in GTO
Taxable Turnover (TTO) [1-(2+3)]
Gross Tax Payable
Excess amount paid brought forward from previous quarter of this financial year
Input Tax Rebate brought forward from previous period
Input Tax Rebate claimed for this period
Input Tax Rebate adjusted against VAT during period
Input Tax Rebate to be carried forward to next period
Net Tax Payable
Interest for late payments, if any
Any other payments
Total Amount Payable

PART D : Payment Details

S.No.	Name of bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	
							Total :

(Attach hard copies of challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Balance Amount Payable (Total Amount Payable Total Payments)

Excess amount of VAT paid carried forward to next quarter of this financial year

Entry Tax**PART E :**

Rate of Entry Tax (in %)	Purchase Value	Expenses	Total Purchase Value	Tax Amount
Entry Tax Not Payable (0)				
1				
2				
Any Other Rate				
Total :				
Interest for late payments, if any				
Gross Amount Payable for this period				
Excess amount of Entry Tax paid brought forward from previous quarter of this financial year				
Net Amount Payable				

PART F : Entry Tax Payment Details

S.No.	Name of bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	
							Total :

(Attach hard copies of challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Balance Amount Payable (Net Amount Payable Total Payments)

Excess amount of Entry Tax paid carried forward to next quarter of this financial year

Declaration

I, (Name) being
of the above business firm do hereby declare that,—

- (i) the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief;
- (ii) the input tax rebate claimed is supported by bills/invoices/cash memo issued by the selling registered dealers indicating therein separately the amount of tax collected.

Place :

Date :

Signature of the dealer

Note : This return shall be signed by any such person on behalf of the dealer as prescribed in sub-tule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh VAT Rules, 2006.

Form 10.2**Return**

(See rule 21, 22 and 23)

(For traders having Sale within Madhya Pradesh and Purchases / Receipts from within and out of MP, with no sale to Special Economic Zone dealers, nor any kind of Tax Deduction at Source, not Liable for Tax under section 9A and Purchase Tax under section 10A, no refunds, himself is not involved in work contract / Composition/ manufacturing)

Basic Information

Name of Dealer

TIN

Financial Year

Return Period

From

To

Original / revised

Part A : Details of sales within the State

S.No.	TIN of Purchasing Dealer	Invoice No. and Date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Sale Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether "Entry Tax not paid" seal has been affixed?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- Note :**
1. Sales to unregistered dealer / Consumers can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 2. Sales of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.

Part B : Details of purchases from within the State.

S.No.	TIN	Invoice No. and Date	Schedule/ Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Whether Input Tax Rebate Claimed? (9)	Whether "Entry Tax not paid" seal has been affixed? (10)	Whether Entry Tax is payable for this purchase? (11)		If yes, then rate at which Entry Tax is Payable (12)	

- Note :**
- Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 - Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number of Invoice details.
 - In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

PART C : Details of purchases/Receipts from out of State

S. No.	TIN	Name of Dealer	Invoice No. and date	State/Out of India	Type of Transaction	Schedule/ Part/ Entry No. of Madhya Pradesh VAT	Commodity (Optional)	Rate of Tax Under Madhya Pradesh VAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Purchase/ Stock Transfer (inclusive of Tax) (10)	Whether Declaration Form is required? (11)	Declaration Form No., if already issued. (12)		Whether Entry Tax is payable for this purchase? (13)		If yes, then rate at which Entry Tax is Payable (14)

- Note :**
- Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 - Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number of Invoice details.
 - In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

PART D : Input Tax Rebate and Tax Details

Gross Turnover (GTO)

Turnover of Tax free Goods

Tax Amount included in GTO

Taxable Turnover (TTO)

Gross Tax Payable

Excess amount paid brought forward from previous quarter of this financial year

Input Tax Rebate brought forward from previous period

Input Tax Rebate claimed for this period

Input Tax Rebate adjusted against VAT during period

Input Tax Rebate to be carried forward to next period

Net Tax Payable

Interest for late payments, if any

Any other payments

Total Amount Payable

PART E : Payment Details

S.No.	Name of bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*
					From	To	

Total :

(Attach hard copies of challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Balance Amount Payable (Total Amount Payable-Total Payments)

Excess amount of VAT paid carried forward to next quarter of this financial year

Entry Tax

PART F :

Rate of Entry Tax (in %)	Purchase Value	Expenses	Total Purchase Value	Tax Amount
--------------------------	----------------	----------	----------------------	------------

Entry Tax Not Payable (0)

1

2

Any Other Rate

Total :

Interest for late payments, if any

Gross Amount Payable for this period

Excess amount of Entry Tax paid brought forward from previous quarter of this financial year

Net Amount Payable

PART G : Entry Tax Payment Details

S.No.	Name of bank*	Branch Code*	Challan Number*	Challan Date*	Period		Amount*	
					From	To		
							Total :	

(Attach hardcopies of challan with Verification Form, if not paid through official web portal)

Balance Amount Payable (Net Amount Payable-Total Payments)

Excess amount of Entry Tax paid carried forward to next quarter of this financial year

Declaration

I, (Name) being
of the above business firm do hereby declare that,—

- (i) the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief;
- (ii) the input tax rebate claimed is supported by bills/invoices/cash memos issued by the selling registered dealers indicating therein separately the amount of tax collected.

Place :

Date :

Signature of the dealer

Note : This return shall be signed by any such person on behalf of the dealer as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh VAT Rules, 2006.

(13) in Form-10-B, for Part E and F, the following Part shall be substituted, namely:—

“ PART E : Details of purchases from within State

S. No.	TIN	Invoice No. and date	Schedule/ Part/Entry No. of M P VAT	Commodity (optional)	Rate of Tax	Purchase Value (Net of VAT)	VAT Amount	Whether Input Tax Rebate Claimed?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Is it Plant and Machinery?	Volume/ Measurement (in case of tax u/s 9-A)	Whether “Entry Tax not paid” seal has been affixed?	Whether Entry Tax is Payable for this purchase?	If yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

- Note :**
1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

Part F: Details of purchases/Receipts from out of state

S. No.	TIN	Name of Dealer	Invoice No. and date	State/Out of India	Type of Transaction	Schedule/Part/Entry No. of MP VAT	Commodity (Optional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rate of Tax Under MP VAT	Purchase/Stock Transfer Value (Inclusive of Tax)	Whether Entry Tax is payable for this Purchase?	If yes, then rate at which Entry Tax is Payable
(9)	(10)	(11)	(12)

- Note :**
1. Purchases from unregistered dealer can be clubbed rate wise, without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 2. Purchases of tax free goods can be clubbed into single row without mentioning TIN, Part, Entry Number or Invoice details.
 3. In case Entry Tax is payable on purchases from unregistered dealer or of tax free goods, then they should be shown in separate rows entry tax rate wise.

(14) These amendments shall be deemed to have come in to force from 1st April, 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.